to text book suppliers, publishers as well as the students; and

(c) if so, what is the Government's reaction thereto and the steps being taken to make available the text books to the students in time ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) According to tine information given by the NCERT, there is no shortage of the textbooks in Arunachal Pradesh. The NCERT does not distribute its textbooks in the State. At the beginning of each acedemic session, the Government of Arunachal Pradesh makes advance payment to the NCERT for purchase of the NCERT textbooks, Workbooks and Supplementary Readers and asks its Delhi representative to make arrangement for lifting the requisite number of such books from Delhi-campus of the NCERT and their despatch to various destinations in the State. Out of 132 titles of NCERT books requisitioned for the 1992-93 session, adequate number of copies of 127 titles were lifted by the State Government during the period from 13-4-92 to 20-7-92 for supply of copies of the remaining 5 titles, the State Government has made advancement payment on 27-10-92 and the titles are being lifted by their representative.

(b) It is not true that the NCERT changes its School Curricula frequently. The last change in the School Curricula was done on the basis of the guidelines of the National Curricular Framework brought out by the NCERT in 1988, keep ing in view the postulated of the National Policy on Education, 1986.

(c) Does not arise.

लंदन में भारतीय मूर्तियों की नीलामी

830. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लंदन में पुरातत्व महत्व की भारतीय मूर्तियों की नीलामी की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो लगभग 40 मूर्तियां वहां कैसे पहुंच गईं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुरातत्व महत्व की बहुत सी वस्तुएं तस्करी द्वारा विदेशों में पहुंच रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इनकी तस्करी को रोकने के लिए तथा विदेशों में पहले ही पहुंच चुकी वस्तुओं को देश में वापस लाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है;

(ङ) उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि उपर्युक्त भाग (घ) और (ङ) का उत्तर नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) इस संबंध में भारत सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) और (ङ) तस्कारी रोकने और चुराई गई वस्तुओं, जो विदेशों में पहुंच गई हैं, को पुन: प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के समझौते "सांस्कृतिक संपदा के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के स्थानांतरण का निषेध एवं निवारण" का 24-1-1977 को अनुमोदन किया गया है । इसके अलावा, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना पुरावस्तुओं और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात की अनुमति नहीं है। सीमा-शुल्क अधिकारियों के सहयोग से निकास बंदरगाहों (हवाई और समुद्री) पर जांच-पड़ताल की व्यवस्था भी की गई है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो और इन्टरपोल से न केवल तस्करी का पता लगाने और उसको रोकने के लिए आवश्यक सहायता ली जाती है, अपितु विदेशों से वस्तुओं को पुन: प्राप्त करने के लिए भी सहायता ली जाती है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।